न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी — हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या – 10 / 2024 दायर दिनांक:–08.02.24

जीसीएमएस नं. 2024 / 36

जुट्टी पुत्र जयराम आयु 55 साल जाति मीना निवासी कोटराढहर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———प्रार्थी

बनाम

हरज्ञान पुत्र डल्ले आयु 45 साल जाति मीना निवासी कोटराढहर कालाखाना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त रिसीवर

उपस्थित:– 1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायलान

निर्णय

दिनांक :–05.11.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 रिसीवर आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 1466 / 1810 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके सायलान खातेदार काश्तकार है। तथा गैरसायल या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई संबंध या बास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 01.01.2024 को सुबह 10 बजे का है कि सायलान अपने हिस्से की भूमि में बुबी फसल सरसों की साल संभाल कर रहे थे, कि अप्रार्थी एक राय होकर मय हमराहीयान मौके पर आ गया। एवं कहने लगा कि तुम्हे इस भूमि से की साल सम्भाल करने केसे आये। इस पर में जबरदस्ती उक्त बोई हुई फसल को तुमको काटने नहीं दूंगा। तथा जबरदस्ती में लटठ के बल पर काटूंगा। तथा तुम्हे इस भूमि से बेदखल करके छोडुंगा। स[illegible] भरसक प्रयास किया कि भाईयों हमने अपना पैसा उक[illegible] फसल को कैसे बेदखल कर सकते हो। यह हमारी खातेदारी [illegible] कब्जे काश्त की आराज[illegible] सायलान ने गैरसायल को काफी समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिय यह रिसीवर का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:13:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर तार्फैसला दावा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1466/1810 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डोन की सुरक्षा हेतु तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी तहसील हिण्डोन को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 21.10.2024 से गैरसायलान के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 131, वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन, की प्रमाणित नकल पेश किये।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1466/1810 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डोन की सुरक्षा हेतु तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी तहसील हिण्डोन को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 131, वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन, का सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर गैरसायलानो के कब्जे/दखलांदाजी के होने बावत तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षतिपूर्ति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र विवादित आराजीयात हेतु नियुक्ति [illegible] खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:13:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1466/1810 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डोन की सुरक्षा हेतु तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी तहसील हिण्डोन को रिसीवर नियुक्त करने संबंधी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने

के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 5/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:13:01 IST
Reason: SelfAttested